पुलिस आदेश संख्या 268/99

[पुलिस हस्तक नियम 686, पुलिस हस्तक परिशिष्ट 93]

उद्देश्य :-

इस पुलिस आदेश का उद्देश्य जिला के नव्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गोरे कमिटी (सी0पी0टी0 रिपोर्ट) की अनुशंसाओं के आलोक में निर्धारित करना है ।

ब्लॉक सिलेबस :

पुलिस हस्तक नियम 686 के अनुसार नव्यों के बेसिक प्रशिक्षण की अवधि 9 महीने निर्धारित की गयी है । उसका ब्लॉक सिलेबस निम्न प्रकार होगा :-

1. प्रशिक्षण अवधि - 9 माह
2. कुल कार्य दिवस 215 दिवस
   (छुट्टियों एवं परीक्षा अवधि को छोड़ कर)
3. कार्य दिवस के आधार पर सप्ताहों की संख्या- 36
   (जिसमें किसी एक सप्ताह में कार्य दिवस मात्र पांच दिनों का ही होगा ।)
4. सप्ताह में कार्यकारी दिवस- 6 दिन
5. अन्तः प्रशिक्षण के लिए प्रति दिन क्लास- 3 पीरियड(पूर्वाह्न में)
6. वाह्य प्रशिक्षण के लिए प्रति दिन क्लास- 5 पीरियड(पूर्वाह्न में 3 पीरियड तथा अपराह्न में 2 पीरियड)
7. बाह्य प्रशिक्षण 1075 पीरियड
8. अन्तः प्रशिक्षण 645 पीरियड
9. कुल पीरियड 1720 पीरियड
10. बाह्य प्रशिक्षण-
    (क)सुबह पाली में 3 क्लास - पी.टी. क्लास 45 मिनट का शेष 2 पीरियड 40 मिनटों का कुल 125 मिनट प्रतिदिन
    (ख)अपराह्न पाली में 2 क्लास प्रति पीरियड 40 मिनटों का कुल 80 मिनट प्रतिदिन
11. अन्तः प्रशिक्षण-पूर्वाह्न पाली में 3 क्लास-प्रति क्लास 40 मिनटों का कुल 120 मिनट प्रतिदिन
13. कुल प्रशिक्षण अवधि प्रतिदिन 6 घंटा 05 मिनट

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

सिलेबस :-

अन्तः प्रशिक्षण :-

1. आधुनिक भारत एवं उसमें पुलिस की भूमिका - पीरियड 30

(क) भारत के राष्ट्रीय ट्रैडीशन, गांधी, टैगोर और नेहरू

(ख) भारतीय संविधान की विशेषतायें
मौलिक अधिकार एवं सहायता देने वाले सिद्धान्त

(ग) स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनैतिक, समाजिक एवं आर्थिक बदलाव और उनका पुलिस के लिए लगाव ।
प्रमुख समाजिक समस्यायें
राष्ट्रीय एकीकरण
समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान

(घ) सामयिक घटनायें
राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक दलों और उनके आइडियोलौजीज

(च) सिविल पुलिस की भूमिका एवं व्यवहार
आरक्षी की भूमिका

पीरियड 30

2. संगठन

(क) केन्द्र सरकार का संगठन
केन्द्रीय पुलिस संगठन

(ख) बिहार सरकार का संगठन-राज्य, जिला एवं अनुमण्डलीय सेट-अप

(ग) सिवील पुलिस का संगठन-पुलिस मुख्यालय, रेंज, जिला, अनुमण्डल, अंचल एवं पुलिस स्टेशन ।

(घ) शस्त्र पुलिस का संगठन-बटालियन, कम्पनी, प्लाटून एवं सेक्शन

(च) रेलवे पुलिस का संगठन एवं यातायात, अपराध और विशेष शाखायें और ग्रामिण पुलिस

(छ) सिवील डिफेन्स/होम गार्डस यूनिट्स और उनके साथ सहयोग

(ज) पुलिस और पंचायत, सामाजिक सेवायें, मजिस्ट्रेसी और अन्य विभागों के संबंध ।

पीरियड 90

3. मानव आचरण -

(क) मानव आचरण को समझना [illegible] समुदाय और भीड़

(ख) जनता के साथ पुलिस का [illegible]
पुलिस कन्डक्ट के सिद्धान्त
सेलेक्टेड सोर्ट केसेज ट्रीटिंग [illegible] का [illegible] पुलिस मेन्स एटीच्यूड
निम्नलिखित के प्रति

1. विवाद
2. खराब चरित्र के व्यक्तिगण
3. गवाहों
4. हाजती
5. ट्राफिक के अपराधी
6. पुलिस स्टेशन में शिकायत
7. गस्ती के क्रम में लोगों
8. नवयुवकगण
9. मजदूरगण
10. औरत और बच्चों एवं
11. लाचार एवं गरीबों

4. प्रशासन -

पीरियड 20

बैजेज आफॅ रैंक्स, क्लोदींग, इक्वीपमेन्ट, आर्म्स एण्ड एम्यूनीशन, पे एण्ड एलाउएन्सेज, अवकाश, अनुशासन, शिकायतें, सजायें, अपील, प्रोमोशन, रिवार्डस, डीकोरेशन्स, हाउजिंग, मेडिकल ट्रीटमेन्ट, रिटायरमेन्ट बेनिफीट्स और सर्विस रेकर्ड्स ।

5. पुलिस कर्त्तव्य -

पीरियड 125

(क) अपराध के कारण
(ख) अपराधियों के प्रकार
(ग) ऑबजरभेशन एवं आपराधिक आसूचना का संग्रह
(घ) अपराध निरोध-बीट और पेट्रोल ड्यिुटी, सर्वेलांस और जेल परेडों पर उपस्थिति
(च) अनुसंधान :-
   1. अपराध का पंजीकरण
   2. साइन्टीफीक एड्स टू इन्वेस्टीगेशन प्रीजरवेशन आफॅ द सीन आफॅ क्राइम एण्ड पुलिस पोरट्रेट्स की प्रारम्भिक जानकारी
   3. सम्मन एवं वारंट की तामिला
   4. छापामारी, सर्चेज, सीजर्स और गिरफतारी एवं इन्ट्रोगेशन में सहायता
(छ) बाल अपराध के प्रति उनका दायित्व
(ज) विधि व्यवस्था संधारण-सभाओं, जुलूसों एवं भीडों पर नियंत्रण
(झ) मेला, त्योहार एवं ग्रामीण बाजार में उनका कर्तव्य
[illegible]

धारा 78, 81 से 85, 86(1), 87, 88, 89, 112, 113, 115 से 118ए, 124, 128, 131
सिड्यूल्स 9 से 11

5. ओपीयम एक्ट 1878
धारा 9, 14, 15
6. इण्डियन रेलवेज एक्ट 1890
धारा 120, 126 से 129, 131
7. रेलवे प्रोपर्टी (अनलॉफुल पौसेशन) एक्ट 1966
8. पुलिस एक्ट 1861
धारा 2, 7 से 10, 22, 23, 25, 28 से 31, 34, 42
9. अनटचेबिलीटी (ऑफेन्सेज) एक्ट 1955
धारा 2 से 7, 10, 15
10. चिल्ड्रेन एक्ट 1960
11. पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867
धारा 13 से 13ए
12. प्रीवेन्शन आफ करप्शन एक्ट 1947
धारा 3 से 5
13. इण्डियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884
14. एक्सप्लोसिव सब्सटान्सेज एक्ट 1908
15. टेलिग्राफ वायर (अनलॉफुल पौजेशन) एक्ट 1950
16. एसेन्सीयल कमोडीटीज एक्ट 1955

7. महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, वायरलेस मेन्टेनेन्स, उग्रवादिता एवं अन्य समसामयिक — पीरियड 50

कुल पीरियड 645

<u>बाह्य प्रशिक्षण</u> :-

1. फीजिकल फिटनेस आउटडोर लाइफ एण्ड टफनिंग — पीरियड 288
   (क) पी0 टी0
   (ख) रूट मार्च
   (ग) ऑब्सटैकल कोर्सेज एण्ड क्रौस कन्ट्री रेसेज [ऑब्सटैकल कोर्सेज के संबंध में आदेश अपर महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस के स्थायी आदेश संख्या 44/88 (ज्ञापांक 789/सै.पु. दिनांक 26-4-88)द्वारा परिचालित है]
   (घ) रोड वाक एण्ड रेस
   (च) स्वीमिंग

2. ड्रिल - पीरियड 288
   (क) ड्रील विध एण्ड विदाउट आर्म्स
   (ख) किट इन्सपेक्सन
   (ग) गार्ड माउन्टिग
   (घ) सेरेमोनियल ड्रील

3. वीपन ट्रेनिंग - पीरियड 121
   (क) .410 मसकेट
   (ख) .303 रायफल/ 7.62 एम0एम0 [illegible] ए0के0-47/
   9 एम0एम0 पिस्टल/स्टेनगन/ [illegible]
   (ग) रेंज कोर्सेज

4. क्राउड कन्ट्रोल - पीरियड [illegible]
   (क) लाठी ड्रील
   (ख) केन ड्रील
   (ग) टीयर स्मोक-फायरिंग [illegible]

5. इमबसिग एण्ड डीबसिग पीरियड 8
6. ट्राफिक कंट्रोल पीरियड 45
7. फिल्डक्राफट, इनक्लूडिग एक्सटेन्डेट [illegible] एण्ड रूट लाइनिंग पीरियड 45
8. अनआर्मड कम्बैट पीरियड 106
9. गेम्स एण्ड एथेलेटिक्स पीरियड 113

कुल पीरियड 1075
(अन्त: 645 + वाह्रय 1075)
कुल 1720 पीरियड

नब्यों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सातवीं पास है अत: [illegible] शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए अन्त: विषयों के पाठयक्रम [illegible] विभक्त किया गया है । प्रथम श्रेणी में वे विषय आते हैं जिनका ज्ञान [illegible] अत्यन्त आवश्यक है । दूसरे वर्ग में वे विषय हैं जिनका ज्ञान उन्हें होना [illegible] तथा तीसरी कोटि में वे विषय हैं जिनका ज्ञान उन्हें दिया जा सकता है [Must know, should know and could know]

उपर्युक्त आधार पर अन्त: विषयों के सिलेबस को निम्न रूप में [illegible] जाने का आदेश दिया जाता है :-

अन्त: विषय :-

1.	आधुनिक भारत एवं उसमें पुलिस कि भूमिका :		
	(क)	भारत के राष्ट्रीय ट्रैडीशन, गांधी, टैगोर और नेहरू	ज्ञान होना चाहिए
	(ख)	भारतीय संविधान की विशेषतायें मौलिक अधिकार एवं सहायता देने वाले सिद्धान्त	ज्ञान होना चाहिए
	(ग)	स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनैतिक, समाजिक एवं आर्थिक - बदलाव और उनका पुलिस के लिए लगाव । प्रमुख समाजिक समस्यायें राष्ट्रीय एकीकरण समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान	ज्ञान होना चाहिए
	(घ)	सामयिक घटनायें राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक दलों और उनके आइडियोलौजीज	ज्ञान होना चाहिए
	(च)	सिविल पुलिस की भूमिका एवं व्यवहार आरक्षी की भूमिका	ज्ञान आवश्यक
2.	संगठन :-		
	(क)	केन्द्र सरकार का संगठन केन्द्रीय पुलिस संगठन	ज्ञान होना चाहिऐ
	(ख)	बिहार सरकार का संगठन-राज्य, जिला एवं अनुमण्डलीय सेट-अप	ज्ञान आवश्यक
	(ग)	सिवील पुलिस का संगठन-पुलिस मुख्यालय, रेंज, जिला, अनुमण्डल, अंचल एवं पुलिस स्टेशन।	ज्ञान आवश्यक
	(घ)	शस्त्र पुलिस का संगठन-बटालियन, कम्पनी, प्लाटून एवं सेक्शन	ज्ञान आवश्यक
	(च)	रेलवे पुलिस का संगठन एवं यातायात, अपराध और विशेष शाखायें और ग्रामिण पुलिस	ज्ञान आवश्यक
	(छ)	सिविल डिफेन्स/होम गार्डस यूनिट्स और उनके साथ सहयोग	ज्ञान होना चाहिए
	(ज)	पुलिस और पंचायत, सामाजिक सेवायें, मजिस्ट्रेसी और अन्य विभागों के संबंध ।	ज्ञान आवश्यक
3.	मानव आचरण :-		
	(क)	मानव आचरण को समझना-मनुष्य समुदाय और भीड़	ज्ञान होना चाहिए
	(ख)	जनता के साथ पुलिस का व्यवहार पुलिस कन्डक्ट के सिद्धान्त सेलेक्टेड सौर्ट केसेज ब्रींगिंग आउट दी पुलिस मैनस एटीच्यूड निम्नलिखित के प्रति :- 1. विवाद 2. खराब चरित्र के व्यक्तिगण 3. गवाहों 4. हाजती 5. ट्राफिक के अपराधी 6. पुलिस स्टेशन में शिकायत 7. गस्ती के क्रम में लोगों से सम्पर्क 8. नवयुवकगण	ज्ञान आवश्यक

9. मजदूरगण
10. महिलाएं एवं बच्चे
11. लाचार एवं गरीब व्यक्ति

4. [illegible] :-

(क) डैजेज आर्फ रैंक्स, क्लोदिंग, इक्वीपमेन्ट, आर्म्स एण्ड एम्युनीशन, पे एण्ड एलाउन्सेज, अवकाश, अनुशासन, शिकायत, सजा, अपील, प्रोमोशन, रिवार्डस, डिकोरेशन्स, ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रीटमेन्ट, रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स और सर्विस रेकार्ड्स । — ज्ञान आवश्यक

5. पुलिस कर्त्तव्य :-

(क)	अपराध के कारण	ज्ञान होना चाहिए
(ख)	अपराधियों के प्रकार	ज्ञान होना चाहिए
(ग)	ऑब्जरवेशन एवं आपराधिक आसूचना का संग्रह	ज्ञान आवश्यक
(घ)	अपराध निरोध-बीट और पेट्रोल ड्यूटी, सर्वेलांस और जेल परेडों पर उपस्थिति	ज्ञान आवश्यक
(च)	अनुसंधान :-	
	1. अपराध का पंजीकरण	ज्ञान होना चाहिए
	2. साइन्टीफिक एड्स टू इनवेस्टिगेशन प्रोजरवेशन आर्फ द सीन आर्फ क्राइम एण्ड पुलिस पोर्ट्रेट्स की प्रारम्भिक जानकारी	ज्ञान आवश्यक
	3. सम्मन एवं वारंट का तामिला	ज्ञान आवश्यक
	4. छापामारी, सर्वेज, सीजर्स और गिरफ्तारी एवं इन्ट्रोगेशन में सहायता	ज्ञान आवश्यक
(छ)	बाल अपराध के प्रति उनका दायित्व	ज्ञान आवश्यक
(ज)	विधि व्यवस्था संधारण-सभाओं, जुलूस एवं भीड़ पर नियंत्रण	ज्ञान आवश्यक
(झ)	मेला, त्योहार एवं ग्रामीण बाजार में पुलिस का कर्त्तव्य	ज्ञान आवश्यक
(ट)	भी0आई0पी0 सुरक्षा व्यवस्था	ज्ञान आवश्यक
(ठ)	गार्डस एवं स्कोर्टस	ज्ञान आवश्यक
(ड)	पुलिस स्टेशन के रूटीन एवं रेकर्डस	ज्ञान आवश्यक
(ढ)	एप्लीकेशन आर्फ साइन्स एण्ड टेक्नोलौजी टू पुलिस वर्क	ज्ञान होना चाहिए
(त)	इमरजेन्सी रिलीफ-असिस्टेन्स इन नेचुरल कैलेमीटीज	ज्ञान आवश्यक
(थ)	फायर प्रीभेन्शन एण्ड फायर फाइटिंग	ज्ञान आवश्यक
(द)	फस्ट एड सैनिटेशन एण्ड हाइजीन	ज्ञान आवश्यक

6. (क) भा0द0वि0 की धारायें

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिये	ज्ञान दिया जा सकता है
21 से 22, 24 से 25, 27, 28 33, 34, 39, 44 से 46, 52, 76 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, [illegible], 100, 101, 103, 104, 105, [illegible], [illegible], 142, 144, 145, 146, [illegible], 152, 153, 153बी, 159,	23, 26, 87, 88, 90, 99, 102, 149, 153, 157, 158, 160 211, 234, 324, 326, 350, 360, 381, 294, 403, [illegible], 420, 443.	77, 93, 143, 147, 154, 155, 156, 165 201, 301, 302, 308, 320, 322, 323, 325, 363, 379, 382, 392, 395, 447, 506.

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिये	ज्ञान दिया जा सकता है
161, 165, 170, 171, 182, 186, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 235, 279, 292, 294, 299, 300, 304, 304ए, 304बी, 307, 309, 317, 318, 319, 321, 332, 333, 338, 339, 340, 349, 351, 353, 354, 359, 361, 362, 363ए, 364, 364ए, 366, 366ए, 375, 376, 376बी, 377, 378, 380, 383, 390, 391, 393, 396, 399, 402, 410, 411, 412, 415, 416, 425, 429, 435, 441, 442, 445, 457, 489ए, 489बी, 503.	444, 446, 454, 511.	

(ख) सी0आर0पी0सी0 की धारायें :-

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
31, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 77, 80, 100, 102, 107, 149, 150, 152, 154, 163, 171.	4(बी), (एफ), (एल), (एन), (ओ), (भी), एवं (डब्लू), 44, 50, 53, 54, 67 75, 79, 87, 109, 110, 125, 151, 160.	59, 69, 71, 81, 82, 88, 101, 103, 127, 128, 155, 174, 175, 437

(ग) इण्डियन एभिडेन्स एक्ट :-

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
25, 26, 27	-	32

(घ) माइनर एक्टस :-

1. आर्म्स एक्ट, 1959

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
2(1), ए, बी, सी, 3, 25(1), ए, बी, 19, 20, 28	29	4, 27

2. कैटल ट्रेसपास एक्ट, 1871 :-

----	10, 11, 24	

3. एक्साइज एक्ट :-1950

---- 50	60ए, जी, जे	

4. मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 (अब 1988)

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
धारा 119, 122, 123, 125, 126, 128, 184 185, 186.	130(1), 132, 134, 183, 194, 202	133, 177, 179, 187, 209

5. ओपियम एक्ट 1878 :- विलुप्त

6. इण्डियन रेलवेज एक्ट 1890

7. रेलवे प्रोपर्टी (अनलॉफुल पौसेशन) एक्ट

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
2 व 3	[illegible]	

8. पुलिस एक्ट 1861

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
धारा 2, 7 से 10, 22, 23 25, 28 से 31, 34, 42		

8(क). पुलिस एक्ट 1988

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
	3	

9. अनटचेबिलीटी (आफैन्सेज) एक्ट 1955

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
2, 3	7, [illegible]	4, 5

10. चिल्ड्रेन एक्ट 1960

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
2(ख), 2(घ)(च)(ज)(ड)	41, [illegible]	-----

11. पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
1	3, 4	6

12. प्रिवेन्शन आर्फ करपशन एक्ट 1947

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
2(ब), 7, 8, 9, 11, 13	2(स)	-----

13. इण्डियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
4	1	----

14. एक्सप्लोसिव सबसटानसेज एक्ट 1908

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
2	1, 3, 4	----

15. टेलिग्राफ वायर (अनयूजफूल पौसेशन) एक्ट 1950

16. एसेन्सीयल कमोडीटीज एक्ट 1981

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
	1	

17. बिहार एक्साइज एक्ट 1915

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
2(1), 12(क), 13(1) से (7), 14, 15	20, 21, 22, 25	

18. नारकोटियस ड्रग साइकोट्रोपिक ड्रग एक्ट

ज्ञान आवश्यक	ज्ञान होना चाहिए	ज्ञान दिया जा सकता है
292, 2 का 3(क)(ख)(ग), 4, 5, 7(क), 8(क), 17, 18		

बाह्य विषय :-

आउटडोर के सिलेबस में दिये गये **सभी विषयों** का ज्ञान प्रशिक्षुओं को अवश्य दिया जाना चाहिए ।

मौलिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त पुलिस हस्तक नियम 686(ii) के तहत मौलिक प्रशिक्षण के बाद नव्यों को 3 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना है । यह प्रशिक्षण उन नव्यों को दिया जाना है जिन्होंने नव्यों की परीक्षा पास कर ली है । इस प्रशिक्षण के संबंध में मौलिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त पुलिस हस्तक नियम 686(ii) में 3 महीने के व्यवहारिक प्रशिक्षण की भी चर्चा है । यह उन नव्यों को दिया जाना है जिन्होंने नव्यों की परीक्षा पास कर ली हो । गोरे कमीटी ने इस प्रशिक्षण के लिए 6 महीने की कालावधि निर्धारित की है परन्तु इस प्रशिक्षण के लिए पुलिस हस्तक नियम 686(ii) के द्वारा निर्धारित कालावधि ही पर्याप्त होनी चाहिए । इस काल के प्रथम महीने में उन्हें एक मझोले स्तर के थाना में संलग्न किया जायगा जहाँ आरक्षी निरीक्षक का भी मुख्यालय हो ।

पहले महीने में वे संतरी, मार्गरक्षी और 'पिकेट' के रूप में दैनिक कर्त्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करेंगें । कर्त्तव्य-क्रमिका, थाना दैनिकी और अन्य थाना अभिलेखों को (जिनके अन्तर्गत यात्रा भत्ता विपत्र तैयार करना भी है) रखने और आरक्षी राजपत्र एवं अपराध आसूचना राजपत्र का उपयोग करने का कार्य सीखेंगे तथा स्थानीय अपराधियों, आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे । वे बीट-गश्त, निगरानी, जनता के साथ आरक्षी संपर्क, बाल-अपराध, स्मृति एवं पर्यवेक्षण एवं अपराधियों आदि के विवरण-पत्र के संबंध में भी प्रशिक्षण लेंगे । अन्वेषण-अधिकारी के साथ जाकर अपराध स्थल को सुरक्षित रखने, अन्वेषण, गिरफतारी और छापामारी की शिक्षा लेने और अपराध शैली ब्यूरो का कार्य सीखेंगें ।

दूसरे और तीसरे महीने में वे भीड़ से निबटने तथा शिष्टाचार एवं संयम आदि की आवश्यकता समझने के लिए किसी नगर थाने से संबद्ध किये जायेंगे ।

व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद इनको कार्यालय से बाहर के काम में दक्षता प्राप्त करने के लिए तथा प्रोन्नति के लिए चयन हेतु प्रोत्साहित होने के लिए किसी थाने में पहले तीन वर्षों तक रखा जायगा ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण को देने का दायित्व उनके जिला आरक्षी अधीक्षकों का होगा ।

परीक्षा :- परीक्षा के विषय, पूर्णांक एवं न्यूनांक निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते है ।

(क) अन्तः विषय

विषय(लिखित)	कुल	न्यूनांक	समय
1. संगठन, प्रशासन, मानव आचरण पुलिस व्यवहार एवं कर्त्तव्य	100	50	3 घण्टे
2. विधि-(भा.द.वि., द.प्र.स. साक्ष्य अधि. एवं लघु अधिनियम)	100	50	3 घण्टे
व्यवहारिक			
3. प्राथमिक उपचार एवं हाइजिन	50	25	
4. अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता	50	25	
5. संचार (टेलिफोन एवं वितंतु)	25	12.5	
6. फायर फाईटिंग एवं असैनिक प्रतिरक्षा	25	12.5	
	350	175	

(ख) वाह्य विषय

1. फिजिकल फिटनेश, आउटडोर लाईफ एवं टफनिंग	50	25	
(क) पी.टी.	20		(सभी में 50% अंक लाना आवश्यक है)
(ख) ओब्स्टेकल कोर्सेस	15		
(ग) रोड वाक एण्ड रन	15		
2. ड्रील	100	50	
(क) टर्न आउट एवं पोशाक	10		(सभी में 50% अंक लाना आवश्यक है)
(ख) सैल्यूट	10		
(ग) शस्त्ररहित ड्रील	20		
(घ) शस्त्रसहित ड्रील	20		
(ड.) किट निरीक्षण	10		
(च) संतरी ड्रील	10		
(छ) सेरेमोनियल ड्रील	20		
3. वीपन ट्रेनिंग एवं फायरिंग	100	50	
(क) वीपन ट्रेनिंग			
1. राईफल(.303)	[illegible]		[illegible]
2. मस्केट(.410)	[illegible]		[illegible]

3. राईफल(7.62)एम.एम. एस.एल.आर.	5	(सभी में 50% अंक लाना आवश्यक है)	
4. ए.के. 47 राईफल	5		
5. 9 एम.एम. पिस्टल	5		
6. 9 एम.एम. स्टेनगन	5		
7. .38 रिवाल्वर	5		
8. एल.एम.जी.	5		
9. ग्रिनेड	5		
(ख) फायरिंग (रेज कोर्सेस)	50		
4. क्राउड कन्ट्रोल	30	15	
(क) लाठी ड्रील	10	(सभी में 50% अंक लाना आवश्यक है)	
(ख) केन ड्रील	10		
(ग) टीयर स्मोक फायरिंग टीयर गैस गन	10		
5. एम्बसिंग एण्ड डिबसिंग	10	5	
6. ट्राफिक कन्ट्रोल	10	5	
7. फिल्ड क्राफ्ट, एक्सटेन्डेड आर्डर ड्रील एवं रूट लाईनिंग	20	10	
8. अन आर्म्ड कम्बैट	30	15	
योग	350	175	
कुल योग (अन्तः एवं वाह्य परीक्षा)	700	350	

अवकाश एवं अनुपस्थिति :-

नव्य आरक्षी प्रशिक्षणार्थी द्वारा अवकाश से पिछड़ने तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए पुलिस आदेश सं. 1/1993 में निम्नलिखित आदेश दिये गये हैं :-

1. प्रशिक्षण सत्र के दौरान किसी प्रशिक्षणार्थी को अवकाश अपरिहार्य कारणो से ही दिया जायेगा । अवकाश की अवधि दस दिनों से अधिक नहीं होगी ।

2. चूंकि प्रशिक्षण की अवधि 9 माह की है, अतः [illegible] से पिछड़ने की अवधि 15 दिनों से अधिक होने पर उन्हें [illegible] निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करा कर अलग से पूरक परीक्षा ली जायेगी।

3. कोई भी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण सत्र में यदि एक माह [illegible] अधिक अवकाश से पिछड़ता है या अनुपस्थित रहता है, (प्रतिनियुक्ति [illegible] छोड़ कर) तो उसे प्रशिक्षण सत्र से पैतृक जिला वापस कर दिया जायेगा [illegible] प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अगले प्रशिक्षण सत्र में शामिल किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

<u>प्रतिनियुक्ति :-</u>

सामान्यतः प्रशिक्षण काल में विधि व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्ति को [illegible] किया जाना चाहिए। अगर कभी विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए प्रतिनियुक्ति की जाती है, तो प्रतिनियुक्ति काल की समाप्ति पर प्राचार्य/समादेष्टा [illegible] प्रशिक्षण संस्था में अविलम्ब बुला लेंगें।

आरक्षी अधीक्षक भी इसे सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिनियुक्ति अवधि [illegible] के तुरत बाद प्रशिक्षुओं को अविलम्ब प्रशिक्षण संस्थान में लौटा दिया जाए, जिससे प्रशिक्षण बाधित नहीं हो सके और वह यथा समय समाप्त हो जाए।

किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध प्रशिक्षुओं के बल में से [illegible] अधिक की प्रतिनियुक्ति हो जाने पर, शेष प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण काल [illegible] दिवस में नहीं गिना जाएगा। इस अवधि को उनके पूर्व प्रशिक्षण की आवृत्ति [illegible] रूप में व्यवहरित किया जाएगा।

उपरोक्त आदेश इन विषयों पर पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को [illegible] है। यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावकारी होगा।

(के० ए० जेकब)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि : 1) सभी आरक्षी महानिदेशक/अपर आरक्षी महानिदेशक/ आरक्षी महानिरीक्षक/ क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/ आरक्षी उपमहानिरीक्षक/ आरक्षी अधीक्षक एवं समादेष्टा को सूचनार्थ प्रेषित।

2) आरक्षी महानिरीक्षक [illegible] बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible]।

3) आरक्षी उपमहानिरीक्षक (प्रशिक्षण) सह प्राचार्य पी.टी.सी., हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

4) आरक्षी अधीक्षक, एम.पी.टी.सी., पदमा/ आरक्षी अधीक्षक, सी.टी.एस, नाथनगर, भागलपुर/ प्राचार्य टी.टी.एस., जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

5) प्रभारी पदाधिकारी आरक्षी राजपत्र को सूचनार्थ एवं आरक्षी राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

(के० ए० जेकब)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।